न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 62/2014 जिला सीकर

1. छाजू पुत्र चुनाराम उम्र 75 साल
2. तारा पुत्र चूनाराम उम्र 72 साल
3. बीरबल पुत्र चुनाराम (मृतक)

3/1 श्रीमती कृष्णा पत्नी स्व. बीरबल उम्र लगभग 65 साल
3/2 भूपसिंह पुत्र स्व. बीरबल उम्र लगभग 25 साल
3/3 सज्जन यादव पुत्र स्व. बीरबल उम्र लगभग 22 साल , सभी जातियान अहीर, समस्त निवासीगण कुडली तन बिहार, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

3/4 श्रीमती माया देवी पुत्री स्व. बीरबल पत्नी श्री रामचन्द्र यादव, उम्र लगभग 40 साल ,निवासी रामसर उर्फ नया गांव, तहसील बुहाना, जिला झुंझुंनू ।

3/5 श्रीमती मधु देवी पुत्री स्व. बीरबल पत्नी श्री राजेन्द्र यादव, उम्र लगभग 36 साल, निवासी रामसर उर्फ नया गांव, तहसील बुहाना, जिला झुंझुंनू ।

3/6 श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व. बीरबल पत्नी श्री सत्यनारायण यादव, उम्र लगभग 30 साल, निवासी अहीरों की ढाणी तन खेतडी, जिला झुंझुंनू ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. देवी सहाय उम्र लगभग 76 साल
2. मंगलाराम उम्र लगभग 72 साल
3. लक्ष्मण उम्र लगभग 68 साल (फौत)
   3/1 मनोहर पुत्र
   3/2 इन्द्राज पुत्र
   3/3 जुगल किशोर पुत्र
   3/4 रणजी पुत्र
   3/5 मुकेश पुत्र

4. रामस्वरूप उम्र लगभग 65 साल, समस्त पुत्रान लादुराम, जाति अहीर, निवासीगण ढाणी कोठी की तन बिहारी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

5. ग्राम पंचायत बिहारी जरिये सरपंच ग्रम पंचायत बिहारी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

औपचारिक रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर
दिनांक 15.9.2006

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री कृष्ण शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सीताराम यादव

निर्णय

दिनांक– 8.5.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 15.9.2006 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम बिहार, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा कुल किता 3 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक दर्ज थी । ग्रम पंचायत बिहार द्वारा नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 16.8.1976 को आदेश कमांकः 464–66 दिनांक 24.1.1975 के आधार पर छाजू, तारा, बीरबल पि. चूना के नाम खसरा नम्बर 134 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का स्वीकार किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 16.8.76 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट रेवी सहाय वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

उप खण्ड अधिकारी ने रेस्पोंडेन्ट्स की अपील में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.9.2006 पारित किया कि "खसरा परिवर्तनशील की नकल संवत 2028 के अवलोकन से पाया गया कि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन बेहड दर्ज है तथा लादू पुत्र डालू कौम अहीर की काश्त का अंकन दर्ज है । नामांतरकरण संख्या 194 ग्रम बिहार का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि नियमन आदेश कमांकः 464–66 दिनांक 24.1.75 के जरिए भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि तन ग्रम बिहार का छाजू , तारा, बीरबल पि. चूना अहीर सा. शिमली के नाम भरा जाकर ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 16.8.76 को स्वीकार किया गया है । अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि पर अपना कब्जा पूर्वजों के समय से बताया है जिस संबंध में खसरा परिवर्तनशील की नकल भी पेश की है जिसमें अपीलान्ट्स के पिता लादू की कब्जा काश्त का अंकन दर्ज है । रेस्पोंडेन्ट ने बावजूद तामिल के अपील का कोई प्रतिउत्तर भी पेश नहीं किया है जिससे भी अपील में अंकित तथ्यों की पुष्टि होना जाहिर होता है तथा अपीलान्ट्स का यह कथन भी सही है कि मौके की जॉच किए बिगर व सुनवाई का नोटिस दिए बिगर ग्रम पंचायत ने नामांतरकरण स्वीकार किया है । जबकि नियमन हुई भूमि का नामांतरकरण स्वीकार करने का अधिकार

Scanned by CamScanner

ग्रम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । नामांतरकरण ग्रम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकार करने की कार्यवाही की है, जो कानूनन नियम विरूद्ध है । इस न्यायालय द्वारा जारी नकल में यह अंकित किया है कि नकल के प्रार्थना पत्र में जो नियमन आदेश क्रमांकः दर्शाया है वो डिस्पेच रजिस्टर से मिलान नहीं खाता है न ही नियगन आदेश की प्रति नामांतरकरण पर चस्पा की गई है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 16.8.76 तन ग्रम बिहार को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि उपरोक्त तथ्यों की नियमानुसार जॅाच कर फैसल करें ।''

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 15.9.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स छाजू वगैहरा द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2006 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 134 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकील बिहड में से जरिये नामांतरकरण संख्या 194 ग्रम बिहार 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलार्थी छाजू, तारा व बीरबल पुत्रान चूनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिस पर अपीलार्थी निरन्तर काबिज काश्त है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के बिना निर्देश के ही श्री सत्यनारायण यादव अधिवक्ता ने बिना नोटिस तामिल हुये ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवादी जबकि अपीलार्थीगण ने उन्हें प्रकरण में पैरवी करने हेतु निर्देशित नहीं किया था । वकील सत्यनारायण यादव ने एक भिन्न प्रकरण में यह कहते हुये वकालतनामा हस्ताक्षर करवाये थे कि यह वकालतनामा एक अन्य वाद में प्रार्थना पत्र में प्रयोग किया जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि विवादित भूमि से रेस्पोंडेन्ट्स का कोई संवंध व सरोकार नहीं है और न ही कभी कब्जा रहा है । विवादित भूमि का प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलार्थीगण के नाम सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुये खोला गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपीलार्थीगण की तामिल अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व नहीं हुई थी , किन्तु तामिल की प्रकिया पूरी किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एकपक्षिय पारित कर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 3.9.2004 को प्रस्तुत की थी तथा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी नहीं किये गये मात्र नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया और

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनाक 15.9.2004 को श्री सत्यनारायण यादव एडवोकेट ने अपीलार्थीगण की बिना सहमति के उपस्थिति दर्ज करवादी । अपीलार्थीगण ने एडवोकेट की शिकायत भी की थी , लेकिन इन तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में विधिशुन्य होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपील विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः प्रकरण के गुणावगुण एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 15.9.2006 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकीन बेहड राजस्व रिकार्ड ग्राम बिहार में सिवायचक दर्ज थी । रेस्पोंडेन्ट के पिता लादूराम उक्त विवादित भूमि पर कदीम से काश्त करते आ रहे थे । उक्त भूमि को पैसा लगाकर समतल किया एवं काश्त योग्य बनाया । उक्त भूमि के कब्जे काश्त का इन्द्राज संवत 2028 की खसरा परिवर्तनशील में रेस्पोंडेन्ट के पिता स्व. लादू राम का नाम दर्ज है । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत को प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने का विधिक अधिकार नहीं था । बिना सक्षम अधिकारी के किश्म परिवर्तन एवं कायम लगाने करने का आदेश नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने बिना बिचार किये नामांतरकरण स्वीकार करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि जिस नियमन आदेश का हवाला देते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया है, वह नियमन आदेश पत्रावली पर नहीं है और न ही नामांतरकरण के साथ है । उनका कहना था कि उक्त नियमन आदेश के खिलाफ जिला कलक्टर सीकर के न्यायालय में नियम 14 (4) के तहत अपील की हुई है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2006 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 16.8.76 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्त तथ्यों की नियमानुसार जॉच कर फैसल करने हेतु रिमाण्ड किया है , जहॉ पक्षकारों की बाद सुनवाई एवं बाद जॉच पुनः निर्णय हो जावेगा । अतः अपीलाधीन निर्णय उचित एवं विधिसम्यक होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान के

चित्र। प्रतिलिपि संस्थापक जयपुर

Scanned by CamScanner

मध्य विवादित भूमि के नियमन के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 16.8.76 जो कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स के नाम नियमन आदेश की अनुपालना में तस्दीक किया गया है । दूसरी ओर रेस्पोंडेन्ट्स की मुख्य आपत्ति कि विवादित भूमि पर उनके पिता लादूराम कदीम से काश्त करते आ रहे थे तथा विवादित भूमि को पैसा लगाकर समतल किया एवं काश्त योग्य बनाया । उक्त भूमि के कब्जे काश्त का इन्द्राज संवत 2028 में रेस्पोंडेन्ट के पिता स्व. लादू राम का नाम खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है तथा नियमन आदेश के खिलाफ जिला कलक्टर के न्यायालय में 14 (4) की अपील विचाराधीन है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2006 द्वारा इस आधार पर अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 16.8.76 तन ग्राम बिहार को निरस्त किया गया तथा तहसीलदार नीमकाथाना को प्रकरण के तथ्यों की नियमानुसार जॉच कर फैसल करने हेतु रिमाण्ड किया है कि खसरा परिवर्तनशील की नकल संवत 2028 के अवलोकन से भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन बेहड दर्ज है तथा लादु पुत्र डालू कौम अहीर की काश्त का अंकन दर्ज है । नामांतरकरण संख्या 194 ग्राम बिहार के अवलोकन से नियमन आदेश कमांकः 464–66 दिनांक 24.1.75 के जरिए भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि तन ग्राम बिहार का छाजू , तारा, बीरबल पि. चूना अहीर सा. शिमली के नाम भरा जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.8.76 को स्वीकार किया गया है । अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि पर अपना कब्जा पूर्वजों के समय से बताया है जिसके संबंध में खसरा परिवर्तनशील की नकल भी पेश की है जिसमें अपीलान्ट्स के पिता लादू की कब्जा काश्त का अंकन दर्ज है । रेस्पोंडेन्ट ने बावजूद तामिल के अपील का कोई प्रतिउत्तर भी पेश नहीं किया है जिससे भी अपील में अंकित तथ्येां की पुष्टि होना जाहिर होने तथा अपीलान्ट्स का यह कथन भी सही होने कि मौके की जॉच किए बिगर व सुनवाई का नोटिस दिए बिगर ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण स्वीकार किया है । जबकि नियमन हुई भूमि का नामांतरकरण स्वीकार करने का अधिकार ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । नामांतरकरण ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकार करने की कार्यवाही है, जो कानूनन नियम विरूद्ध है । इस न्यायालय द्वारा जारी नकल में यह अंकित किया है कि नकल के प्रार्थना पत्र में जो नियमन आदेश कमांकः दर्शाया है वो डिस्पेच रजिस्टर से मिलान नहीं खाता है न ही नियमन आदेश की प्रति नामांतरकरण पर चस्पा की गई है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स थे जिनके नाम विवादित भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है , जो हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति थे जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था । हम

Scanned by CamScanner

समझते हैं कि किसी भी हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायिक आदेश की संज्ञा नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स जो इस अपील में अपीलान्ट्स है को बिना सुने व विधिवत नोटिस तामिल कराये बिना एकपक्षिय अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 15.9.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा पुष्पा)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner